नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305
इ-मेल: mgahvpro@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org

स्त्री अध्ययन विभाग में मानवाधिकार पर एक दिवसीय कार्यशाला

वर्धा, 17 जनवरी 2018: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के स्त्री अध्ययन विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में मानवाधिकार पर एक दिवसीय आधारभूत कार्यशाला का आयोजन गुरुवार, 18 जनवरी को गालिब सभागार में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र करेंगे। यह कार्यशाला चार सत्रों में होगी। प्रथम सत्र 'मानवाधिकार का परिचय' पर होगा। स्वागत वक्तव्य प्रो. मनोज कुमार देंगे। सत्र के मुख्य वक्ता नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश खैरनार होंगे तथा वे 'मानवाधिकार, संवैधानिक प्रावधान एवं सार्वभौमिक उदघोषणा, 1948' विषय पर वक्तव्य देंगे। दूसरा सत्र 'भारत में मानवाधिकार संस्थाएं' 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार तथा राज्य मानवाधिकार की उत्पत्ति एवं कार्य' विषय पर होगा जिसमें मुंबई की अधिवक्ता एड. लारा जेसनी अपना वक्तव्य देंगी। तीसरा सत्र 'महिलाओं एवं बच्चों के मानवाधिकार' पर होगा जिसमें 'महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव नष्ट करने पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 1979 एवं इसके वैकल्पिक मूल पत्र' विषय पर स्त्री अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर शरद जायसवाल एवं डॉ. कुसुम त्रिपाठी तथा 'बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 1989 एवं इसके वैकल्पिक मूल पत्र' विषय पर मंजुल भारद्वाज वक्तव्य देंगे। चौथा सत्र 'अन्य कमजोर वर्गों के मानवाधिकार' में 'मानवाधिकार एवं बंधुआ मजदूरी तथा भारत में बाल मजदूरी' विषय पर होगा जिसमें अधिवक्ता सुश्री मेघा बहल नई दिल्ली तथा 'एस.सी.,एस.टी. मुद्दे एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989' विषय पर नागपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रदीप मेश्राम वक्तव्य देंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता प्रतिकुलपति प्रो. आनंद वर्धन शर्मा करेंगे। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. अवन्तिका शुक्ला ने इस कार्यशाला में भागीदारी करने का आहवान किया है.

मानवाधिकारावर एक दिवसीय कार्यशाळा

वर्धा, दि. 17 जानेवारी, 2018 : महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा येथील स्त्री अध्ययन विभाग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने मानवाधिकारांवर एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन 18 जानेवारीला गालिब सभागृहात करण्यात येत आहे. कुलगुरु प्रो. गिरीश्वर मिश्र उदघाटन कार्यक्रमाची अध्यक्षता करतील. कार्यशाळेत स्वागत वक्तव्य प्रो. मनोज कुमार करतील. मुख्य वक्ता नागपुरचे सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश खैरनार राहतील. ते 'मानवाधिकार, संवैधानिक प्रावधान व सार्वभौमिक उदघोषणा, 1948' विषयांवर आपले मत व्यक्त करतील. दूसरे सत्र

‘भारतात मानवाधिकार संस्था’ में ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार की उत्पत्ति एवं कार्य’ विषयावरर मुंबईच्या अधिवक्ता एड. लारा जेसनी आपले वक्तव्य देतील. तीसरे सत्र ‘महिला व मुलांकरिता मानवाधिकार’ या विषयावर स्त्री अध्ययन विभागाचे सहायक प्रोफेसर श्री शरद जैसवाल व डॉ. कुसुम त्रिपाठी आणि मंजुल भारद्वाज आपले मत व्यक्त करतील. बाल मजुरी या विषयावर नवी दिल्लीच्या अधिवक्ता सुश्री मेघा बहल तर ‘एस.सी., एस.टी. मुद्दे व अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989’ या विषयावर नागपूरचे मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री प्रदीप मेश्राम वक्तव्य देतील. समारोपीय कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रकुलगुरू प्रो. आनंद वर्धन शर्मा राहतील. कार्यक्रमाचे संयोजन स्त्री अध्ययन विभागातील सहायक प्रोफेसर डॉ. अवंतिका शुक्ला करतील.